संख्या– /XVIII(II)/2020–18(44)/2018

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 27 **जनवरी, 2020**

विषयः– जनपद, रूद्रप्रयाग में राजकीय नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4810/17–09(2017–18), दिनांक 02 अगस्त, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग के ग्राम कोठगी में राजकीय नर्सिंग कालेज के निर्माण हेतु ग्राम कोठगी के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–183 के खसरा नम्बर 2015 रकवा 7.153 है0 मध्ये 3.000 है0 श्रेणी 9(3)ग स्थाई पशुचर की भूमि प्रस्तावित करने एवं ज0वि0र0 श्रेणी वर्ग 9(3)ड़ कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि खसरा नम्बर 2024 रकवा 2.998है0 को श्रेणी 9(3)ग स्थाई पशुचर की भूमि में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक हित में **जनपद रूद्रप्रयाग के ग्राम कोठगी में राजकीय नर्सिंग कालेज का निर्माण हेतु ग्राम कोठगी के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–183 के खसरा नम्बर 2015 रकबा 7.153 है0 मध्ये 3.000 है0 श्रेणी 9(3)ग स्थाई पशुचर की भूमि** वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)50(39)/2015/2014 दिनांक 09 जुलाई, 2015 एवं शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/2015–18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पक्ष में आवंटन करने तथा **ज0वि0र0 श्रेणी वर्ग–9(3)ड़ कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि खसरा नं0–2024 रकबा 2.998 है0 को श्रेणी 9(3)ग स्थाई पशुचर की भूमि में परिवर्तित करने** की श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

.....2

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(9) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रस्तावित भूमि आवंटन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का गौचर के रूप में 5% बनाये रखना आवश्यक होगा।

(12) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

3– कृपया, इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

.....3

संख्या– 126 /xviii(ii)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।